राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर

No. RMSC/मु.पत्रा/2011/213 Date 26-08-2011

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2011–12 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के सभी राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयाँ 2 अक्टूबर, 2011 से निशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी। इस योजना के प्रारम्भ होने पर राज्य के सभी चिकित्सको को दवा लिखने सम्बन्धी निम्न निर्देश प्रदान किये जाते है।

I **जैनेरिक नाम से दवा लिखना (Prescription by Generic Name): -**
राज्य सरकार के निर्देशानुसार चिकित्सको द्वारा यथासम्भव प्रेस्क्रिप्शन (Salt/ Pharmocopoeial/Generic) नाम से लिखा जाना है एवं आवश्यक दवाओ Essential drug का उपयोग मानक उपचार निर्देशो (Standard treatment guideline) के अनुसार किया जाना है। प्रत्येक पर्ची पर निदान (Provisional/Final Diagnosis) व चिकित्सक के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होने चाहिये।

II **दो प्रति में दवा पर्ची (Double prescription slip)**
चिकित्सको द्वारा दवा दो पर्चीयों (कार्बन कोपी) पर लिखी जावेगी जिसकी एक प्रति मरीज के पास रहेगी तथा इसकी दूसरी प्रति निशुल्क दवा वितरण केन्द्र पर दी जाकर दवा प्राप्त की जा सकेगी।

III **उचित परामर्श (Counselling)**
प्रभारी चिकित्सक, चिकित्सको, नर्सिंग स्टॉफ व दवा वितरण केन्द्र के स्टॉफ व सहकारिता विभाग के फार्मासिस्ट का यह दायित्व होगा कि वह राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप रोगियों के उपचार में आवश्यक सहयोग करें व मरीजो को उचित सलाह (Counselling) प्रदान करें। संशय की स्थिति में वह जैनेरिक दवा के बारे में समुचित जानकारी दें व इस बारे में मरीजों की शंकाओं का निराकरण करने का प्रयास करें।

IV **प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट (Prescription audit)**

राज्य सरकार के निर्देशानुसार चिकित्सा अधिकारी प्रभारी/यूनिट हेड समय समय पर 10 प्रतिशत आउटडोर व इन्डोर पर्चीयों की जांच कर राज्यादेश की पालना सुनिश्चित करावें

V **उपचार की अवधि (Duration)**
सामान्यतया रोगी को तीन दिन की निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जावे। अतिआवश्यक होने पर या विशेष परिस्थितियो में कारण इंगित करते हुए 7 दिन तक की दवा दी जा सकती है। लम्बी बीमारी (Chronic illnesses) यथा ब्लड प्रेशर/डायबिटिज/ हृद्यरोग/मिर्गी /एनिमिया/ओस्टियोअर्थराईटिस आदि के रोगीयों व पेशंनर्स को एक माह तक की अवधि की दवाईयां उपलब्ध कराई जा सकेगी।

VI <u>लाईफ लाईन ड्रग स्टोर का सुदृढीकरण</u>

आर.एम.एस.सी. द्वारा उपलब्ध कराई गई निःशुल्क दवाईयों के अतिरिक्त अन्य दवाईयों को लाईफ लाईन डग स्टोर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। आर.एम.आर.एस. नियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर गुणवत्तापूर्ण औषधियों का क्रय तीन चिकित्सकों की समिति द्वारा किया जाकर विक्रय हेतु उपलब्ध कराया जाना है जिससे रागियो को उचित मूल्य पर दवा मिल सके।

उक्त आदेशो की पालना सुनिश्चित करावें अन्यथा विभाग द्वारा अनुशासात्मक कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
3. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
7. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अधीक्षक, मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी....., राजस्थान।
12. समस्त प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग